न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 1, मऊ।

उपस्थित– बाकर शमीम रिज़वी (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP 6398

UPMA010030312026

जमानत प्रार्थना पत्र सं. 982/2026

*****

विशाल सोनकर उम्र तख. 22 वर्ष पुत्र स्व० प्रकाश सोनकर,

साकिन– रामचक, थाना रुद्रपुर, जनपद–देवरिया हाल मुकाम स्व० सूरज बली सोनकर साकिन– पूरी दुर्जन राय दक्षिणटोला महरनिया, थाना– कोतवाली, जनपद– मऊ।

.... आवेदक

बनाम

उ. प्र. राज्य

.... विपक्षी

अपराध सं० 184/2025
अं० धारा– 3(5),115(2),351(2), 190, 191(2), 191(3),103(1), 61(2) बी०एन०एस०
थाना– कोतवाली, जनपद, मऊ।

आदेश

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त विशाल सोनकर की ओर से थाना कोतवाली, जनपद मऊ के मुकदमा अपराध सं. 184/2025 अंतर्गत धारा 3(5),115(2),351(2),190, 191(2), 191(3),103(1), 61(2) बी०एन०एस० के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र के साथ संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रति के अनुसार संक्षिप्त अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा रणधीर यादव द्वारा थाना कोतवाली में दिये गये प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि वादी व गुलशन यादव एक ही गाडी से मऊ की तरफ जा रहे थे। गुलशन यादव विजय बहादुर की हत्या में फर्जी तौर पर फंसाया गया था जिसमें अदालत से बरी हो गया था। अदालत से बरी होने के बाद कमलेश यादव, राजेश यादव, तेज बहादुर व अमरनाथ यादव गुलशन को जान से मारने की धमकी देते थे। हिमांशू सोनकर उर्फ विकास, आकाश सोनकर उर्फ आशु, रितेश सोनकर व रोहित सोनकर शातिर किस्म के व्यक्ति हैं जो अपराध में लिप्त रहते हैं तथा भाडे पर हत्याएं करते रहते हैं। दिनांक 10.06.2025 को समय करीब 7 बजे प्रार्थी और गुलशन आवश्यक कार्य से बाजार जा रहे थे कि शीतला माता मंदिर के पास सभी मुल्जिमान इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे थे। करीब 07.30 बजे रेलवे स्टेशन से रोड़वेज की तरफ मुडे कि तब तक उपरोक्त मुल्जिमान व तीन से चार अज्ञात चार से पांच मोटरसाइकिल से कट्टा, चाकू, राड से लैश होकर आगे से घेर कर गुलशन व रणधीर जमीन पर गिर पड़े और जान बचाने के लिए शोर मचाने लगे। रणधीर थोड़ी दूर पर भागा कि तब

Digitally signed by BAQUAR SHAMIM RIZVI
Date: 2026.06.20 09:39:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तक गुलशन को सभी मुल्जिमान अपने–अपने हथियारों से मारने लगे। अभियुक्तगण के भागने के बाद प्रार्थी गुलशन को अस्पताल ले गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है। उसका इस घटना से किसी प्रकार का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। तहरीर में आवेदक द्वारा किसी तरह की कोई घटना या उसमें संलिप्त होना नहीं बताया गया है। आवेदक एक पढ़ने वाला छात्र है। आवेदक दिनांक 18.05.2026 से जनपद कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया और तर्क दिया गया कि अभियुक्त/आवेदक द्वारा कारित अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। आवेदक द्वारा मृतक गुलशन यादव ही हत्या हेतु आपराधिक षड्यंत्र में अन्य सह–अभियुक्त के साथ प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा है व उनके गोल का सक्रिय व्यक्ति है। अतः जमानत निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

5. पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में आरोप–पत्र दाखिल किया जा चुका है। केस डायरी के पर्चा नं. 35 में सह अभियुक्त राहुल सोनकर के मोबाईल नं0 9140150738 का दिनांक 08.06.2025 से 11.06.2025 तक का सी.डी.आर. विवरण उपलब्ध है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राहुल सोनकर का विशेष रूप से मो0 नं0 9621440024 (आकाश सोनकर उर्फ आशू), मो0 नं0 9565669022 (हिमांशू सोनकर), मो0 नं0 6394478401 (रोहित सोनकर), 7652056161 (विशाल सोनकर), मो0 नं0 7501640548 (रानी सोनकर) तथा मो0 नं0 7398354550 से अत्यधिक और निरंतर वार्तालाप हुआ है जिसमें कुछ कॉल्स का समय 20 मिनट से अधिक भी रहा है। <u>यह भी देखा गया कि कॉल्स की प्रकृति एक–दूसरे को कॉल करने (ऑउट एण्ड इन) तथा एस.एम.एस. से संवाद तक विस्तृत रही है जो यह संकेत करता है कि आवेदक सक्रिय रूप से उपरोक्त व्यक्तियों/सह–अभियुक्तगण के सम्पर्क में था। सह–अभियुक्त राहुल सोनकर के मोबाईल नंबर पर दिनांक 08.06.2025 से दिनांक 11.06.2025 के मध्य कुल 06 यूनिक नम्बर से सम्पर्क किये गये इस दरमियान कुल कॉल की संख्या लगभग 36 है और कुल वार्तालाप की अनुमानित समय लगभग तीन घण्टे से अधिक है जिसमें से 11 कॉल मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित सह अभियुक्तगण आकाश सोनकर उर्फ आशू, हिमांशू सोनकर, रोहित सोनकर तथा विशाल सोनकर के मोबाईल नम्बर पर है।</u>

7. केस डायरी के पर्चा नं0 44 के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 11.06.2025 को अभियुक्त विशाल सोनकर की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी परंतु वह दस्तयाब नहीं हुआ। सह अभियुक्त सचिन सोनकर द्वारा अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के

बयान में यह कथन किया गया है कि हम सोनकरों के गैंग का लीडर हिमांशु सोनकर है। उसने 0024 नाम का एक गैंग बनाया है। मै, आकाश सोनकर उर्फ अंशू, रितेश सोनकर, रोहित सोनकर, राहुल सोनकर, विशाल सोनकर, आनन्द तथा अंकित सोनकर उसके गैंग में हैं। हम सभी लोगों का कट्टर दुश्मन गुलशन यादव था। गुलशन यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर अलीनगर व सिकटिया पुल के पास हम लोगों की बहुत पिटाई किया। हिमांशू सोनकर को मरा जानकर उसने फेंक दिया था। इस घटना के बारे में सरांयलखन्सी थाने में मुकदमा भी दर्ज है। हिमांशु जब ठीक होकर आया तभी से उसने गुलशन यादव की हत्या करने की कसम खायी थी और गुलशन को मारना ही जीवन का एक लक्ष्य बनाया। राहुल सोनकर ने अपने दुश्मन गुलशन को हटाने के लिए सभी खर्च खुद करने की बात कही थी और वो भी उसकी आने–जाने की सूचना रेकी करके हमें देता था। दिनांक 10.06.2025 को रितेश ने मुझे फोन किया कि विशाल और अंकित को भेज रहा हूँ उनके साथ चले आना आज मौका मिला है बचने न पाये। विशाल और अंकित 06 बजे के आस–पास शाम को मुझे लेने आये। लाल रंग की बाइक से थे। मै पीछे बैठा था, विशाल बीच में था। अंकित बाइक चला रहा था। विशाल के मोबाईल पर बार–बार राहुल सोनकर फोन करके गुलशन कहॉ पहुँचा है उसकी सूचना दे रहा था। हम लोग संस्कृत पाठशाला से बन्धा होते हुए फाटक पार कर स्टेशन के पास पहुँचे थे जहॉ आगे–आगे गुलशन अपनी मोटर साइकिल पर पीछे रणधीर को बैठा कर जा रहा था। राकेश यादव उर्फ पिन्टू (प्रार्थी/अभियुक्त) अपने चार पहिया से गुलशन के पीछे लगा था। उसकी सूचना लगातार हम लोगों को दे रहा था। अचानक वह डिवाईडर से गाड़ी वापस मोड़ कर रोडवेज की तरफ आने लगा। हिमांशु, आशू, और रोहित अपाचे बाइक से पीछे से आये और ओवरटेक करके उनको रोक लिये तब तक हम लोग पहुॅच गये और पीछे से आनन्द और रितेश स्कूटी से आकर धर लिये। फिर हिमांशु, आकाश, रोहित, रितेश, विशाल, अंकित, आनन्द के साथ मिलकर मैनें मऊ रेलवे स्टेशन के बाहर गुलशन यादव की हत्या कर दिया था।

8. सह अभियुक्त राहुल सोनकर ने भी घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और कथन किया है कि मै खुद ही कहा था कि गुलशन यादव को मारने में जो खर्च होगा सब मैं ही दूंगा। मैं लगातार उसका पीछा कर रहा था। दिनांक 10.06.2025 को मै अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था। मुझे उसके लोकेशन के बारे में जो भी जानकारी मिली सारी स्थिति से विशाल को फोन पर बता रहा था। दूसरी ओर से चार पहिया से राकेश यादव उर्फ पिन्टू (प्रार्थी/अभियुक्त) भी रेकी करके बता रहे थे। हम लोगों की एकदम सटीक मुखबिरी के कारण ही शाम साढ़े सात बजे हिमांशु, आकाश, रोहित, रितेश, विशाल, अंकित, आनन्द और सचिन ने उसको खत्म कर दिया। मै उस रात इन सभी लोगों से मिला था। सबको यहॉ से हटाने बढ़ाने में मैनें पूरा सहयोग किया। अपने बचाव के लिए ही मै अस्पताल में था जिससे कि कोई मुझ पर शंका न करे।

9. सह अभियुक्तगण राहुल सोनकर एवं सचिन सोनकर के बयानों से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि गुलशन की हत्या गैंगवार के कारण की गई थी। सह अभियुक्तगण राहुल सोनकर एवं सचिन सोनकर के बयानों से प्रथम दृष्टया यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने भी घटना के दिन गुलशन यादव की हत्या कारित करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी तथा लगातार घटना के समय अन्य गैंग के सदस्यों के संपर्क में था।

10. उपर्युक्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाती है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **विशाल सोनकर** की ओर से प्रस्तुत **जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त** किया जाता है।

दिनांक 18.06.2026

[बाकर शमीम रिज़वी]
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं. 1, मऊ।